

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/168746/AMR/AMROHA/1414/CFO
दिनांक : 14-08-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **S L J PUBLIC SCHOOL** पता Vill Hakampur, Post Hakampur, HASANPUR तहसील - HASANPUR प्लॉट एरिया 8000 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 2457.75 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
S L J PUBLIC SCHOOL	3	0	10.67 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **S L J PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 14-08-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SANJAY SINGH 9958126684** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि 14-08-2025 से 13-08-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **S L J PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **S L J PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सहित आख्या के क्रम में एन बी सी 2016 एवं उ0प्र0अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों के आधार पर निर्गत।

1. फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0 / मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये।
2. विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी।

यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : 14-08-2025
स्थान : AMROHA



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Anil Kumar Singh

E9965325E2ECAFB4994E89A25287097E46C70623

14-08-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.